

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Audit -I), MADHYA PRADESH, GWALIOR

दिनांक:- 26-10-2023

कार्यालय आदेश /Office Order-160

मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1093-स्टाफ (नियु.-II)/74-2022/भाग-3/के. डब्ल्यू दिनांक 14.11.2022 द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 37-स्टाफ विंग/2022 तथा अनुभागीय कार्यालय आदेश संख्या-वा.ले.प.-I/प्रशासन/159 दिनांक 14.11.2022 के अनुपालन में जारी कार्यालय आदेश क्र./ प्रशा.-11/ स. 2/नियु./ स.ले.प.अ. (वाणि.)/का.आ./136 दिनांक 30.12.2022 के तारतम्य में श्री केतन कुमार, स.ले.प.अ. (वाणि.) का वेतन निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 (₹47600-151100) में निम्नानुसार किया जाता है-

In continuation of Office Order No. Admin. 11/Gr. 2/Appt./AAO(C)/OO/136 dated 30.12.2022, issued in compliance with Headquarter's Circular No. 37-Staff Wing/2022 issued vide letter no. 1093-Staff (App.-II)/74-2022/Vol.III\KW dated 14.11.2022 and Sectional Office Order No. CA-I/Admn/159 dated 14.11.2022, pay fixation of Shri ketan Kumar, AAO (Comm.) in Level-8 (₹47600-151100) of Pay Matrix is done as below: -

स.क्र.	नाम एवं पद स्थायी क्रमांक	घटना	दिनांक	वेतन लेवल	वेतन	टिप्पणी	
01.	श्री केतन कुमार (02/11411)	AAO (Comm.)	Appointed as Direct AAO	28.05.2018	लेवल-08	₹ 47600	-
			1 st increment	01.01.2019		₹ 49000	-
			2 nd increment	01.01.2020		₹ 50500	-
			3 rd increment (Notional)	01.01.2021		(₹ 52000)	GIO (7) (a) below F.R. 26 & Sl. No. 08 of Provisional Offer of appointment.
			Annual increment (Notional)	01.01.2022		(₹ 53600)	- do-
			Passed SAS Exam. (Last date 30.05.2022.) to 13.11.2022 but increment could not be released as he was terminated from the post of AAO from 28.05.2022 due to not passing SAS Exam.	28.05.2022		(₹ 53600) (Notional)	-
			Increment released vide Hdqtrs' circular dated 14.11.2022 issued for extension of probation period for 5th year from date of joining as AAO (Prob.)	14.11.2022		₹ 53600 (Actual)	-
			Annual increment	01.01.2023		₹ 55200 DNI- 01.01.2024	-

नोट- दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 13.11.2022 तक का वेतन निर्धारण काल्पनिक (Notional) रूप से

किया गया है | अतः उक्त अवधि के वेतन एरियर का भुगतान नहीं किया जाये |

(प्राधिकार :-वरि. उप महालेखाकार/प्रशासन के आदेश से जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन -11

दिनांक:- 26-10-2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

- 1 - उप निदेशक/लेखापरीक्षा, वित्त एवं संचार, बी.एस.एन.एल कम्पाउन्ड, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)
- 2- भुगतान एवं लेखा अधिकारी, लेखाभवन, ग्वालियर।
- 3- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन- 14
- 4- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ITA, को इस आशय के साथ प्रेषित है कि मुख्यालय के परिपत्र संख्या 183-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर./01.2022 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/03/2015- Estt. (Pay-I) दिनांक 03.10.2022 के बिन्दु क्रमांक 5 (ii) के अनुपालन में यह वेतन निर्धारण आदेश जारी होने के 3 माह के भीतर यदि वेतन निर्धारण में कोई विसंगति है, तो इस अनुभाग को सूचित करें।
- 5- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट संबंधी कार्य हेतु।
- 6- सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा 11 सेवा पुस्तिका व प्रशा- 12 (पदक्रम सूची)
- 7- श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ. प्रशासन-14 को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट संबंधी कार्य हेतु।
- 8- संबंधित अधिकारी।
- 9- गार्ड फाइल।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन - 11